मंथन क्रमांक 38

महिला वर्ग या परिवार का अंग

दुनिया में मुख्य रुप से चार संस्कृतियों के लोग रहते हैं–1 पाश्चात्य या इसाई 2 इस्लाम 3 साम्यवादी या अनीश्वरवादी। 4 भारतीय या हिन्दू। पाश्चात्य में व्यक्ति सर्वोच्च होता है, परिवार धर्म समाज,राष्ट्र गौण । इस्लामिक संस्कृति में धर्म सर्वोच्च होता है, परिवार समाज व्यक्ति, राष्ट्र गौण। साम्यवाद में राज्य सर्वोच्च होता है, व्यक्ति परिवार धर्म समाज राष्ट्र गौण। भारतीय संस्कृति में समाज सर्वोच्च होता है, व्यक्ति धर्म राष्ट्र गौण। यदि हम वर्तमान स्थिति की तुलना करें तो पश्चिम इस्लाम और साम्यवाद अपनी अपनी संस्कृतियों पर टिके हुये हैं किन्तु भारत पूरी तरह अपनी संस्कृति को छोडता ही जा रहा है। साथ ही अन्य तीन संस्कृतियों की प्रतिस्पर्धा में अपनी सांस्कृतिक पहचान खो रहा है अर्थात समाज से भी उपर धर्म राष्ट्र या व्यक्ति को मानने लगा है।

प्राकृतिक रुप से कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह समान नहीं होते, किन्तु महिला और पुरुष के बीच तो यह दूरी बहुत अधिक है। अब तक प्रकृति के अनेक रहस्य सुलझने बाकी है। उसी तरह यह भी एक रहस्य ही है कि प्राकृतिक रुप से महिला और पुरुष के बीच स्वाभाविक आकर्षण है जो इन दोनों को एक दूसरे के साथ रहने के लिए मजबूर करता है। इस आकर्षण को किसी परिस्थिति में रोकना या बाधा पहुचाना बहुत घातक कार्य है। किन्तु इस आकर्षण को यदि व्यवस्थित नहीं किया गया तो समाज में अव्यवस्था फैल जायेगी। इसलिए परिवार रुपी एक इकाई बनाकर बीच का रास्ता निकाला गया जिसमें महिला और पुरुष की प्राकृतिक आवश्यकता पूरी होती रहें, किन्तु अव्यवस्था भी न फैले ।

आदर्श स्थिति में व्यक्ति और समाज को मौलिक इकाई माना जाता है। न तो व्यक्ति से नीचे कोई इकाई है, न ही समाज से उपर। व्यक्ति और समाज के बीच आपसी तालमेल बनाये रखने के लिए एक सीढी का उपयोग होता है जो परिवार,गांव, जिला, प्रदेश और राष्ट्र से होती हुई समाज तक जाती है। यह सीढी व्यक्ति को समाज से सम्पर्क रखने का काम करती है। इसी तरह समाज द्वारा निर्मित सरकार रुपी एक इकाई होती है जो सबसे उपर होती है और व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिये यह सीढी राज्य के काम आती है। इस तरह यह सीढी ही व्यक्ति से समाज तक और सरकार से व्यक्ति तक के सम्पर्क का माध्यम होती है।

व्यक्ति के बाद पहली सीढी परिवार होती है। परिवार एक से अधिक व्यक्तियों को मिलाकर बनता है। सामान्यतया उसमें पुरुष और महिलाये दोनों प्रकार के लोग शामिल होते है। परिवार स्वयं में एक संगठन होता है। कोई व्यक्ति जब किसी परिवार का सदस्य होता है तो स्वाभाविक रुप से उसका परिवार के प्रति सम्पूर्ण समर्पण होता है जिसमें वह स्वयं भी बराबर का सहभागी होता है। परिवार में शामिल होने के बाद व्यक्ति के संवैधानिक अथवा सामाजिक अधिकार समाप्त होकर परिवार के साथ जुड जाया करते है। परिवार में रहते हुये व्यक्ति की पहचान उसी तरह होती है जिस तरह शक्कर और पानी मिलकर शर्बत बन जाते है अथवा ऑक्सीजन और हाईड्रोजन मिलकर पानी बन जाते है। स्वाभाविक है कि दोनों का अलग अलग अस्तित्व तब तक शून्य हो जाता है जब तक दोनों को अलग अलग न कर दिया जाये। परिवार एक तीन पैर की दौड मानी जाती है जिसमें परिवार के सदस्यों का एक एक पैर खुला रहता है और बीच का पैर बंधा हुआ। स्वाभाविक है कि तीन पैर की दौड में कोई भी एक सदस्य यदि तालमेल से अलग हुआ या कर दिया गया तो दौडने वाला निश्चित रुप से प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जायेगा। वर्तमान समय में हम परिणाम देख रहे हैं कि तालमेल के मामले में इस्लाम सबसे सफल है और साम्यवाद सबसे पीछे। पाश्चात्य संस्कृति में भी तालमेल का अभाव ही है और वर्तमान भारतीय संस्कृति को तो कभी पृथक संस्कृति माना ही नहीं जा रहा।

यदि हम परिवार व्यवस्था के आधार पर आकलन करें तो मुस्लिम संस्कृति और हिन्दू संस्कृति के बीच बहुत एकता है। जबकि पाश्चात्य संस्कृति और साम्यवादी संस्कृति के बीच भी बहुत सीमा तक एकता है। ये दोनों संस्कृतियां मिलकर भारतीय और इस्लामिक परिवार व्यवस्था को किसी भी तरह तोडना चाहती हैं। इस टूटन का ही प्रयोग स्थल भारत बना हुआ है। स्वाभाविक है कि परिवार व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने के लिये महिला और पुरुष के बीच अविश्वास की दीवार खडी करनी आवश्यक है। यदि तीन पैर की दौड से एक सदस्य के मन में संदेह के बीज बो दिये जायें तो परिणामस्वरुप पाश्चात्य और साम्यवादी संस्कृति अपने प्रतिस्पर्धी को पराजित कर सकती हैं। इसी बुरी नीयत को आधार बनाकर भारत में इन दोनों संस्कृतियों के एजेंट सफलतापूर्वक यह धारणा फैला रहे हैं कि महिला एक पृथक वर्ग है, संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं। निरंतर यह बात फैलाई जा रही है कि पुरुष

शोषक है और महिला शोषित। यह बात भी सब लोग जानते है कि महिला और पुरुष को एकाकार होना एक प्राकृतिक अनिवार्यता है। यदि किसी बालिग महिला को पुरुष के साथ जुडने से रोक दिया जाये तो वह महिला भी उतना ही विद्रोह करती है जितना पुरुष किन्तु थोडे ही दिनों बाद पाश्चात्य और साम्यवादी प्रचार से प्रभावित उस परिवार के पति पत्नी के बीच शोषक और शोषित की दीवार खडी कर दी जाती है । यह समाज व्यवस्था के लिए बहुत घातक है किन्तु भारत में सामाजिक कार्य समझ कर किया जा रहा है। कुछ लोग वर्ग विद्वेष बढा रहे है तो कुछ लोग ना समझी में वर्ग समन्वय की बात कर रहे है जबकि सच्चाई यह है कि महिला और पुरुष अलग वर्ग है ही नहीं। नरेन्द्र मोदी समेत हर राजनेता महिला सशक्तिकरण जैसे समाज विरोधी नारे को जोर शोर से हवा दे रहे है। बेटी बचाओं जैसे शब्दों का धडल्ले से उपयोग हो रहा है। महिलाओं को कानून तोडने की ट्रेनिंग दी जा रही है। लगभग सिद्ध कर दिया गया है कि पुरुष शोषक है और महिला शोषित। न्यायालयों में भी कुछ मामलों में महिलाओं को सत्यवादी माना जाने लगा है। एक जमाना था जब इस्लाम महिलाओं को आधी गवाही का हकदार मानता था तो अब नये जमाने में उन्हें दुगुना विश्वसनीय बताया जाने लगा है। न इस्लामिक मान्यता ठीक थी,न ही वर्तमान मान्यता ठीक है क्योकि किसी भी समूह में अच्छे और बुरे लोगों का प्रतिशत लगभग बराबर होता है,कम ज्यादा नहीं। किन्तु सम्पूर्ण भारत में यह षडयंत्र निरंतर चल रहा है। भारत में दो प्रतिशत आधुनिक महिलायें 98 प्रतिशत पारम्परिक परिवारों की महिलाओं को ब्लैकमेल कर रही हैं। इन दो प्रतिशत का व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन भी कुछ भिन्न होता है। ये महिलाये या तो अपने परिवार के संरक्षण में शेष परिवारों का आरक्षण के नाम पर या प्रगतिशीलता के नाम पर शोषण करती है, ब्लैकमेल करती है अथवा अपने परिवार में तलाक का गाजर मूली की तरह उपयोग करती हैं। किसी भी प्रकार का महिला सशक्तिकरण अथवा महिला आरक्षण या तो परिवार या समाज व्यवस्था में विखण्डन पैदा करता है अथवा शोषण। संसद में और सरकारी कार्यालयों में ये महिलाये एक साथ बैठ सकती हैं किन्तु रेल डब्बों में या अस्पतालों में इन्हें खतरा महसूस होता है। सेना में लडने के लिए अब बहादुरी की अपेक्षा महिला होने को भी महत्व दिया जायेगा। पंचायतों में भी अब महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। मैं अभी तक नहीं समझा कि महिला और पुरुष की दूरी घटना इतना खतरनाक है तो संसद पंचायत सरकारी कार्यालयों और सेना पुलिस में यह दूरी प्रयत्नपूर्वक क्यों घटाई जा रही हैं। आये दिन देखा जा रहा है कि अपराधी प्रवृत्ति की महिलायें खुलेआम पुलिस वालो के समक्ष अपराध कर रही है। मुख्यमंत्री और मंत्री पद पर आसीन महिलाये भी जब चाहे तब किसी पुरुष के विरुद्ध आरोप लगा देती है। मैंने तो यहॉ तक देखा है कि अधिकांश महिला लेखक घुमा फिराकर महिला सशक्तिकरण के लिए ही लेख लिखती है। उन्हे इसके अतिरिक्त कोई समस्या दिखती ही नहीं। अनेक महिलाये जो विवाह के पूर्व भी महिला सशक्तिकरण की पक्षधर रही है वे भी विवाह करने से अथवा गुप्त रुप से पुरुषों के साथ सम्पर्क बनाने से दूरी नहीं बनाती। सम्पूर्ण समाज में एक प्रचलन है कि विवाह के समय लडका अधिक योग्य और लडकी कम योग्य के बीच तालमेल बनाया जाता है। ये दो प्रतिशत महिला सशक्तिकरण का ढोंग करने वाली महिलाये भी अपनी लडकियों के विवाह के लिए अधिक योग्य लडका ही खोजती है और लडकी को पति परिवार में जाने देती है। जब आपको स्वयं पता है कि इसका परिणाम पुरुष प्रधानता में ही है तो क्या यह उचित नहीं होता कि कम से कम आप तो अपनी लडकी का विवाह कम योग्य लडके से करती और लडके को अपने घर में लाकर रखती। विवाह करते समय भारतीय संस्कृति का पोषण और विवाह के बाद पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर विखडण्न की दोहरी नीति बहुत घातक है।

महिला और पुरुष को दो वर्गो के रुप में खडा किया जा चुका है। वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष की दिशा में महिलाओं को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। ना समझ धर्मगुरु कन्या बचाओ, महिला बचाओ का नारा लगा रहे है और 98 प्रतिशत पारम्पारिक परिवारों के लोग किं कर्तव्य विमूढ हैं। समझ में नहीं आ रहा की क्या करें। गांव–गांव में समाज तोडक राजनेताओं के एजेंट महिलाओं को छोटे छोटे पद देकर महिला पुरुष के बीच टकराव की पृष्ठभुमि बना रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम इस बाढ को रोक नहीं सकते यह तो पता है किन्तु फिर भी हम समाज को सतर्क तो कर सकते है कि ऐसे समाज तोडक लोगों से सावधान रहें। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब तक मजबूर न हो या कोई स्वार्थ न हो तब तक महिला और पुरुष को परिवार का अभिन्न अंग ही बने रहने दें। उन्हें पृथक वर्ग के रुप में खडा करके अपने पैरों में कुल्हाडी मत मारे।

मंथन क्रमांक 39

अर्थ पालिका, एक व्यावहारिक सुझाव

दुनियां मे साम्प्रदायिकता, धन और उच्श्रृंखलता के बीच बड़ी होड़ मची हुई है। तीनो ही येन केन प्रकारेण राज्य शक्ति के साथ अधिक से अधिक जुडकर दुनियां में सबसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उच्श्रृंखलता का प्रतीक साम्यवाद तो पीछे छूट रहा है और साम्प्रदायिकता अर्थात इस्लाम ने धन शक्ति से टकराव मे कमजोरी पाकर कुछ समझौते करने शुरू कर दिये हैं। स्पष्ट दिखने लगा है कि पूंजीवाद अर्थात धन शक्ति आगे निकल रही है। किन्तु एक बात निर्णायक रूप से सिद्ध हो चुकी है कि आगे तीनो मे से चाहे जो भी निकले किन्तु उसे राज्य का सहारा लेना ही होगा। चाहे धन राज्य का सहारा ले या राज्य धन का किन्तु कोई अकेला निर्णायक विजय प्राप्त नही कर सकता।

धन की शक्ति कितनी है यह यहूदी सबसे ज्यादा समझते रहे हैं। पश्चिम के देशों मे भी यहूदी प्रभावित अर्थ व्यवस्था चल रही है। कुछ लोग तो पूरी दुनियां के अर्थ प्रभावित होने की अपुष्ट बातें करते दिखते हैं। भारत के एक स्थापित नेता दिलीप सिंह जूदेव ने कभी चर्चा मे कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं है किन्तु वह खुदा से कम भी नहीं है। यह बात लगभग सच ही है। धन सम्पूर्ण विश्व व्यवस्था पर निर्णायक प्रभाव डालने की क्षमता रखता है।

दूसरी ओर अर्थ एक आवश्यक मजबूरी भी है। व्यक्ति अपनी बौद्धिक या श्रम शक्ति से प्राप्त लाभ को धन के अतिरिक्त किसी अन्य स्वरूप से न संचित कर सकता है न रूपांतरित । धन ही उसका एक मात्र संग्रह का आधार है अन्यथा व्यक्ति का विशेष प्रयत्न स्वतः नष्ट हो जायेगा। साथ ही धन समाज मे स्वस्थ प्रतियोगिता मे भी सहायक होता है। भारतीय समाज व्यवस्था ने धन के दोनो स्वरूपों का अच्छी तरह विश्लेषण करके ही संतुलित मार्ग निकाला था जिसे वर्ण व्यवस्था कहते हैं। इस वर्ण व्यवस्था मे व्यक्ति अपनी क्षमता और इच्छा के आधार पर ज्ञान सुरक्षा सुविधा और सेवा मे से एक को चुन सकता है। व्यक्ति एक से अधिक दूसरे की न तो इच्छा कर सकता है न ही एक दूसरे मे हस्तक्षेप। एक व्यक्ति एक मार्ग पर चलकर सिर्फ एक ही लाभ का परिणाम प्राप्त कर सकता है। ज्ञान को सर्वोच्च सम्मान सुरक्षा को अधिकतम शक्ति सुविधा को अधिकतम धन तथा सेवा को अधिकतम सुख की सुविधा प्राप्त थी। वैश्य अकेला ही धन संग्रह का अधिकार रखता था। शेष तीन धन अधिकार से पूरी तरह वंचित थे। किन्तु धनवान को सम्मान शक्ति और सुख के मामले मे अन्य तीन से पीछे ही रहना पडता था। मै मानता हूँ कि यह भारतीय व्यवस्था बाद मे विकृत हुई। उपर वाले तीन ने मिलकर श्रम का शोषण शुरू किया जिसके दुष्परिणाम आज तक भारत भुगत रहा है। किन्तु यह चर्चा आज का विषय नहीं। फिर भी इतना अवश्य है कि यह व्यवस्था ही विश्व अव्यवस्था का अच्छा समाधान थी।

अर्थ की शक्ति नियंत्रित करने के बीसवीं सदी मे कई प्रयास हुए। सबसे बडा प्रयास साम्यवाद के रूप मे हुआ। उसने सारी अर्थ व्यवस्था से समाज को बाहर कर दिया। प्रारंभ मे साम्यवाद बढा किन्तु धीरे धीरे नीचे जाने लगा क्योकि खुली प्रतिस्पर्धा ही विकास का महत्वपूर्ण आधार होती है और प्रतिस्पर्धा से अर्जित लाभ को धन के अतिरिक्त इकठठा करना संभव नहीं। साम्यवाद मे प्रतिस्पर्धा न होने के कारण उत्पादन और विकास पर दुष्प्रभाव पडा। एक छोटा प्रयास विनोबा जी ने किया कि उन्होने अपने कार्यकर्ताओ को कांचन मुक्ति के अति उच्च आदर्श के साथ जोड दिया। मुझे याद है कि विनोबा जी के इस उच्च आदर्श ने सर्वोदय समाज मे अनेक व्यावहारिक कठिनाइंया पैदा की। वैसे अर्थ व्यवस्था के मामले मे इस्लामिक व्यवस्था भी बहुत आदर्श मानी जाती है। उसमे जकात को मुसलमान के लिए आवश्यक माना गया है। जकात का तरीका भी बहुत व्यावहारिक है। ब्याज के मामले मे भी इस्लाम बहुत आदर्शवादी माना जाता है। यह अलग बात है कि बाद मे यह जकात ही साम्प्रदायिकता के विस्तार का एक मजबूत आधार बनकर समाज के लिये समाधान की जगह समस्या बन गया।

धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भारतीय चर्चा मे धन एक ऐसे मजबूत घोडे के रूप मे स्थापित हुआ है। जिसमे यदि व्यक्ति ने धर्म के माध्यम से अर्थ पर सवारी की तो वह घोडा उसे मोक्ष तक पहुंचा सकता है। और यदि धन ने ही धर्म पर सवारी कर दी तो व्यक्ति नर्क तक नीचे गिर सकता है। अर्थ एक निर्णायक शक्तिशाली हो किन्तु उसकी शक्ति का प्रभाव तभी होता है जब वह राज्य के साथ जुडे। इसका अर्थ यह हुआ कि सारी निर्णायक ताकत तो राज्य के पास ही है चाहे वह साम्प्रदायिकता के साथ जुडे या धन के साथ । यही कारण है कि सभी शक्तियां अपनी पूरी ताकत राज्य को साधने मे लगाती रहती है और उसमे धन अभी सबसे आगे है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अर्थ और राज्यसत्ता का इकठठा होना सबसे अधिक घातक है। साथ ही दोनो एक साथ जुडने के लिये लगातार कोशिश करते रहते है।

हम अब सिर्फ भारत तक अपने को सीमित करें। भारत में भी सत्ता और सम्पत्ति का अधिकतम एकीकरण हो रहा है। राज्य स्वतंत्रता पूर्वक कितना भी टैक्स लगाता है और उसका एक छोटा सा हिस्सा जन कल्याण के नाम पर खर्च करके शेष पूरा का पूरा अपनी ताकत और लोकप्रियता बढाने मे खर्च करता है। यहां तक कि धन की ताकत पर राज्य बुद्धिजीवियों, कलाकारो, मिडिया कर्मियों, बल्कि कभी कभी तो धर्म गुरूओ तक को खरीदकर अपने पक्ष मे करता रहता है। सत्ता लोलुप अथवा सता लाभ प्राप्त लोग समाज मे यह भ्रम फैलाते रहते है कि राज्य ही गरीबी अथवा आर्थिक असमानता मिटा सकता है। सत्तर वर्षो से भारत देख रहा है कि कभी गरीबी दूर हुई ही नही है। और आर्थिक असमानता तो बढती ही चली जा रही है। फिर भी अनेक लोग समाज मे गरीबी अमीरी के नाम पर ऐसा भ्रम फैलाकर रखते हैं जिसमे राज्य और अर्थ के बीच की कडी कमजोर न हो सके। साम्यवादी इस आधार पर अमीरी रेखा का प्रचार करके वर्ग विद्वेष फैलाते रहते हैं। जबकि ऐसी कोई रेखा व्यक्ति बना सकता है या समाज बना सकता है किन्तु सत्ता के द्वारा बनाये जाने की मांग करना अपनी गुलामी को आमंत्रण देने के समान है। यह तो संभव है कि राज्य अपनी सहूलियत के लिये कोई मध्यरेखा बनाकर उससे उपर के लोगो को टैक्स के दायरे मे ले आवे और नीचे वालो को राहत दे दे। किन्तु ऐसी रेखा को अमीरी गरीबी रेखा कहना राज्य की दलाली के अतिरिक्त और कुछ नही है जो साम्यवादी लगातार करते रहे है। राज्य भी ऐसी मांग को अपने लिये सुविधा जनक समझकर प्रोत्साहित करता रहता है। मै मानता हूॅ कि धन की शक्ति बहुत बडी है। धन दुनियां की और विशेषकर भारत की राजनैतिक शक्ति पर निर्णायक प्रभाव डालता है। किन्तु यह सब होने के बाद भी धन राज्य से अधिक शक्तिशाली नही है। स्पष्ट है कि मायावती ने सत्ता के बाद धन प्राप्त किया धन के बाद सत्ता नही। आज दो सत्ता केन्द्र प्रमुख चाहे तो पूरी दुनियां को विश्व युद्ध की आग मे ढकेल सकते है किन्तु दुनियां के पूंजीपति मिलकर भी ऐसे युद्ध को कराने या रोकने की सामर्थ नही रखते। फिर भी धन एक निर्णायक शक्ति है जो राज्य के निर्णयो को प्रभावित करने की शक्ति रखता है।

आदर्श स्थिति तो यह होगी कि राज्य पूरी तरह अर्थ व्यवस्था से बाहर हो जाये और अपने सुरक्षा और न्याय तक के लिये आवश्यक खर्च की व्यवस्था समाज से करा ले। स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा मे राज्य को तब तक कोई हस्तक्षेप नही करना चाहिये जब तक कोई प्रतिस्पर्धी दूसरे की स्वतंत्रता मे बाधा न पैदा करे। राज्य यदि प्रतिस्पर्धारत अनेक पक्षकारो मे से किसी को गरीब या अपंग कहकर उसे विशेष सहायता देता है तो यह अप्रत्यक्ष रूप से स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा मे बाधक होता है जो अन्यायपूर्ण है। राज्य को शिक्षा स्वास्थ जैसे जन कल्याणकारी कार्यो से भी स्वयं को दूर कर लेना चाहिये। राज्य सिर्फ इतना ही कर सकता है कि जो लोग किसी कारण वश प्रतिस्पर्धा से बाहर है उनकी काफिला पद्धति अनुसार मौलिक आवश्यकताओ की पूर्ति करे किन्तु वह पूर्ति किसी प्रतिस्पर्धा मे शामिल व्यक्ति को नही करनी चाहिये। फिर भी भारत की वर्तमान राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्था को देखते हुए हमारे लिये किसी व्यावहारिक मार्ग को ही चुनना ठीक रहेगा। वर्तमान समय मे राज्य ने संवैधानिक तरीके से संपूर्ण अर्थ व्यवस्था पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। राज्य जितना चाहे टैक्स लगा सकता है और जब चहे जहां चाहे मनमाना खर्च भी कर सकता है। राज्य जब चाहे तब युद्ध भी कर सकता है और हम उसकी इच्छानुसार उसे धन देने के लिये बाध्य है। भले ही हम युद्ध न भी चाहें । ऐसी स्थिति मे राज्य की स्वतंत्रता पर एक संवैधानिक अंकुश होना आवश्यक है और उसके लिये मेरा यह सुझाव है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था मे जिस तरह राज्य न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका को मिलाकर चलता है उसी तरह एक चौथी नियंत्रक इकाई के रूप मे अर्थपालिका को भी होना चाहिये। अर्थपालिका कैसे बनेगी यह तो बाद का विषय है। किन्तु अर्थपालिका होनी चाहिये यह तात्कालिक चर्चा का विषय है। एक ऐसी अर्थपालिका हो जो भारत का संपूर्ण बजट स्वतंत्रा पूर्वक बना सके और राज्य की अन्य तीन इकाईया आर्थिक मामले मे उस बजट के आधार पर ही कार्य करने को बाध्य हों। देश मे टैक्स कितना लगे और कहां कहां किस तरह खर्च हो इसका निर्णय अर्थपालिका ही कर सकती है। विधायिका नहीं। राज्य को पूरी तरह आर्थिक स्वतंत्रता देना बहुत खतरनाक है और अर्थपालिका उस स्वतंत्रता मे लोक नियंत्रित तरीके से अंकुश लगा सकती है।

कार्य कठिन है किन्तु धन और राज्य के एकीकरण से मुक्ति पाने का प्रयास करना ही चाहिये। इस संबंध मे हमे चार सूत्रिय कार्य प्रारंभ करना चाहिये–

(1) हम अधिकतम नीजीकरण को प्रोत्साहित करें। हम राज्य द्वारा समाज मे दी जाने वाली सुविधाओ की मांग करने से अपने को दूर रखें। हम सुविधा की अपेक्षा स्वतंत्रता को अधिक महत्व दे। हम प्रयास करें कि राज्य और अर्थ के बीच की दूरी निरंतर बढती रहे।

(2) हम यथा संभव अर्थ पालिका की मांग पर बल देते रहें कि संवैधानिक आधार पर एक अर्थपालिका बननी चाहिये।
(3) हम प्रयास करें कि जो लोग राजनैतिक असमानता की तुलना मे आर्थिक और सामाजिक असमानता को आगे बढाकर प्रचारित करते है उन्हे राज्य शक्ति का एजेन्ट समझने की आदत डालें । हम स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने की आदत डाले। गरीबी रेखा या अमीरी रेखा समाज का ध्यान भटकाने वाली है।
(4) हम इस बात को समाज मे स्थापित करने का प्रयास करें कि समाज सर्वोच्च है राष्ट्र नही,धर्म नही, अर्थ नही। मै समझता हूँ कि यहां से यदि हम प्रारंभ करेंगे तो घोडा हम पर सवार नही हो सकेगा बल्कि हम ही घोडे पर सवार होने मे सफल हो जायेगे।

मंथन क्रमांक 40
भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार नियंत्रण

आज सारा भारत भ्रष्टाचार से परेशान है। भ्रष्टाचार सबसे बडी समस्या के रुप में स्थापित हो गया है। नरेन्द्र मोदी सरीखा मजबूत प्रधानमंत्री आने के बाद भी भ्रष्टाचार पर मजबूत नियंत्रण नहीं हो सका है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति भ्रष्टाचार से चिंतित भी है और प्रभावित भी। किन्तु अपने को लाचार महसूस कर रहा है। भ्रष्टाचार पर विचार मंथन करते समय कुछ सिद्धांतों पर ध्यान देना होगाः–
(1) अपने मालिक से छिपाकर लिया गया लाभ भ्रष्टाचार होता है अन्य कोई कार्य भ्रष्टाचार नहीं होता। दूसरे मालिक से छिपाकर लिया गया धन चोरी होता है, भ्रष्टाचार नहीं।
(2) कोई भी भ्रष्टाचार सिर्फ मालिक के लिए अपराध माना जाता है, समाज के लिए नहीं। समाज के लिए या व्यक्ति के लिए वह मात्र गैरकानूनी होता है।
(3) तानाशाही व्यवस्था में या लोकस्वराज्य में भ्रष्टाचार न के बराबर होता है । लोकतंत्र में भ्रष्टाचार अधिक होता है।
(4) लोकतांत्रिक व्यवस्था में 2 प्रतिशत तक ही अपराध रोके जा सकते है इससे अधिक नहीं। भ्रष्टाचार की उत्पत्ति 2 प्रतिशत से अधिक होती है तो भ्रष्टाचार रोकना कठिन होता है।
(5) किसी भी व्यवस्था में कानून की मात्रा जितनी अधिक होती है, भ्रष्टाचार के अवसर उतने ही अधिक होते है। तानाशाही या लोकस्वराज्य में कानून न के बराबर होते है और लोकतंत्र में बहुत अधिक।
उपरोक्त सिद्धांतो के आधार पर हम भारतीय व्यवस्था का आकलन करें तो भारतीय राजनैतिक व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक जीवन में 90 प्रतिशत तक कानूनों का हस्तक्षेप है। स्पष्ट है कि 90 प्रतिशत भ्रष्टाचार पैदा होता है और 2 प्रतिशत ही रोका जा सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भ्रष्टाचार रोकने वाली इकाईयां भी निरंतर भ्रष्ट होती चली जाती हैं और लगातार भ्रष्टाचार अनियंत्रित होता जाता है। यहॉ तक कि अपराध नियंत्रण के मामले भी भ्रष्टाचार की भेट चढ जाते हैं। परिभाषा के अनुसार अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि मालिक सरकार है या समाज। संसदीय लोकतंत्र में समाज रुपी मालिक राजनेताओं को नियुक्त करता है तथा राजनेता शेष सारी व्यवस्था को मालिक के रुप में नियुक्त करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि सिर्फ राजनेताओं को दिया गया अधिकार जनता रुपी मालिक की अमानत होता है। शेष सरकारी अधिकारियों को दिया गया अधिकार जनता की अमानत न होकर राजनैतिक व्यवस्था की अमानत होता है। स्पष्ट है कि राजनेताओं का भ्रष्टाचार अपराध होता है और सरकारी कर्मचारियों का भ्रष्टाचार गैरकानूनी । यदि राजनेता रुपी मालिक ही सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार में हिस्सेदार हो जाये तो महत्वपूर्ण समस्या होती है कि मालिक रुपी समाज क्या करे? राजनेता बडी चलाकी से स्वयं को सुरक्षित रखते हुये समाज को मार्गदर्शन देता है कि समाज कर्मचारियों का भ्रष्टाचार रोके। जबकि समाज को ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। भ्रष्टाचार का जन्मदाता और सुरक्षा देने वाला राजनेता स्वयं को सुरक्षित कर लेता है और अपने साहित्यकार,कलाकार, मीडियाकर्मी,राजनैतिक कार्यकताओं को दलाल के रुप में खडा करके निरंतर प्रचारित करता है कि समाज दोषी है। जबकि आवश्यकता से अधिक कानून वही लोग बनाते है, वही लोग भ्रष्टाचार के अवसर पैदा करते है और वही लोग भ्रष्टाचार में हिस्सा लेकर सुरक्षा देते है। फिर वही लोग समाज को उपदेश देते है कि समाज भ्रष्टाचार रोके। भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए जो इकाई बनाई जाती है वह स्वयं भ्रष्ट होती है तो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भ्रष्टाचार कभी रोका नहीं जा सकता बल्कि सुरसा की तरह बढता ही रहेगा।

स्पष्ट है कि हम भ्रष्टाचार को तब तक नहीं रोक सकते हैं जब तक उसका उत्पादन बंद न हो और भ्रष्टाचार का उत्पादन कम करने के लिए हमें कानूनों की संख्या 90 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत तक करनी पडेगी जो कोई राजनेता तैयार नहीं है। यहॉ तक कि अनेक राजनैतिक एजेंट तो अर्थव्यवस्था में भी सरकारी हस्तक्षेप बढाने की वकालत करते दिखते है। दूसरी ओर ऐसे लोग भ्रष्टाचार के लिए समाज को भी दोषी ठहराते हैं। इसलिए आवश्यक है कि ऐसे राजनैतिक एजेंटो से दूर हटकर हम भ्रष्टाचार नियंत्रण पर सोचना शुरु करें। समाधान के रुप में कुछ उपाय हो सकते हैः—

(1) कानूनों की मात्रा कम से कम करने का सरकार पर दबाव डाला जाये। सरकार से सुविधाओं की अपेक्षा स्वतंत्रता की मांग करें।

(2) किसी भी प्रकार के सरकारीकरण का अधिकतम विरोध किया जाये। बाजारीकरण या निजीकरण भ्रष्टाचार नियंत्रण का एक अच्छा माध्यम है। अधिकतम निजीकरण की मांग की जाये।

(3) निजीकरण भ्रष्टाचार का उत्पादन नियंत्रित कर सकता है किन्तु समाधान तो लोकस्वराज्य अर्थात समाजीकरण में ही निहित है। हम सरकारवाद और पूॅजीवाद से हटकर समाजीकरण को आदर्श स्थिति माने।

(4) हम किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में कही भी दोषी नहीं है। हम अपने को अपराध भाव से मुक्त करे। यदि भ्रष्टाचार होता है तो हम उसे रोकने में सीधा हस्तक्षेप न करें बल्कि व्यवस्था का सहारा ले।

(5) जब तक भारतीय लोकतंत्र लोक नियुक्त तंत्र से बदलकर लोक नियंत्रित तंत्र नहीं बन जाता है तब तक हम अपने को मालिक समझने की भूल न करें। नेता धोखा देने के लिए हमें मालिक कहते हैं किन्तु होते स्वयं मालिक हैं । इसलिए हम तब तक भ्रष्टाचार के दोषी नहीं जब तक संविधान निर्माण और संशोधन में हमारी प्रत्यक्ष भूमिका न हो। वर्तमान समय में संविधान में संसद और न्यायपालिका की ही अंतिम भूमिका है इसलिए वे ही भारत में फैले सब प्रकार के भ्रष्टाचार के दोषी है।

मैं यह कह सकता हूॅ कि भ्रष्टाचार ला ईलाज बीमारी नहीं है बल्कि राजनेताओं द्वारा पैदा की हुई बीमारी है जिसका वे समाधान इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनका व्यक्तिगत हित भ्रष्टाचार से जुडा हुआ है। स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार पर तब तक नियंत्रण नहीं हो सकता जब तक राजनेताओं पर संविधान का तथा संविधान पर समाज का प्रत्यक्ष नियंत्रण न हो । मेरे विचार से भ्रष्टाचार पर आंशिक नियंत्रण के लिए अधिकतम निजीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिये।

मैं समझता हूॅ कि तंत्र से जुडा कोई भी सरकारी कर्मचारी या राजनेता ऐसा निजीकरण नहीं होने देना चाहता। किन्तु इसके अतिरिक्त कोई तात्कालिक समाधान भी नहीं है क्योंकि भ्रष्ट व्यवस्था भ्रष्टाचार रोक नहीं सकती और भ्रष्टाचार का उत्पादन बिना निजीकरण के रुक नहीं सकता। हमें चाहिये कि हम राजनेताओं अफसरों और उनके तथाकथित एजेंटो के आभा मंडल से दूर रहकर समाजीकरण या अधिकतम निजीकरण का समर्थन करें।

जंतर मंतर पर असहिष्णुता के विरुद्ध प्रदर्शन

देश के अनेक मुसलमानों ने कुछ धर्मनिरपेक्ष हिन्दुओं के साथ मिलकर देश में बढ़ रही साम्प्रदायिक असहिष्णुता के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन एकपक्षीय था तथा हिन्दुओं में दयाभाव पैदा करने के उददेश्य से था। मुझे लगा कि प्रदर्शन से हिन्दुओं में दयाभाव पैदा न होकर साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण और बढा। यदि प्रदर्शन कश्मीर में हो रहे मुस्लिम आतंकवाद, पत्थरबाजी तथा आजमखान के एकपक्षीय विचारों के विरुद्ध हुआ होता तो संभव है कि मुझ जैसे हिन्दुओं में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण कम होता। अब भी समय है कि संविधान की दुहाई देकर भारत के मुसलमान 70 वर्ष तक जारी अपने साम्प्रदायिक एजेंडे को आगे बढाने की जिद छोड दें । तब संभव है कि भारत में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण उल्टी दिशा में चलना शुरु कर दे, अन्यथा जो ध्रुवीकरण वर्तमान में हो रहा है वह और तेज होगा। 70 वर्षो से चली आ रही राजनैतिक व्यवस्था धर्म निरपेक्षता का मुखौटा लगाकर भारतीय मुसलमानों को यथार्थ बोध होने से रोक रही है। अब मुसलमानों को समझना है कि वे टकराव चाहते है या समन्वय।

मंथन (बौद्धिक विकास प्रशिक्षण)

दिनॉक 25 जून 2017 दिन रविवार को समय प्रातः 09.30 बजे केन्द्रीय कार्यालय कौशाम्बी के कम्युनिटी हॉल में मंथन कार्यकम का उद्घघाटन मा0 रतीराम जी, के करकमलो द्वारा सम्पन्न हुआ। कार्यकम में दिल्ली एन0सी0आर0 व अन्य क्षेत्रों से लगभग 50 प्रबुद्ध नागरिक शामिल हुए।

प्रथम सत्र में मंथन क्यों विषय का प्रतिपादन करते हुए प्रख्यात विचारक श्री बजरंग मुनि जी ने कहा कि जिस तरह शरीर को स्वस्थ्य रखने के लिए शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता है ठीक उसी तरह व्यक्ति को अपनी

बौद्धिक क्षमता बढाने के लिए बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता है, जिसे हम मंथन कहते है। आगे बजरंग मुनि जी ने कहते हुए बताया कि मंथन से जहॉ व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता बढती है वही व्यक्ति समझदार भी होता है । उक्त विषय पर उपस्थित जन समूह ने भी अपनी सार्थकता पूर्ण विचार रखें।

कार्यक्रम के दूसरे सत्र का विषय था महिला वर्ग या परिवार का अंग इस विषय का प्रतिपादन करते हुए बजरंग मुनि जी ने कहा कि वर्तमान समय में महिला और पुरुष को दो वर्ग में बांटने का प्रयास हो रहा है जो समाज हित में नहीं है। महिला समाज का अलग वर्ग न होकर वह परिवार की एक सदस्य है। इस विषय पर भी उपस्थित लोगों ने अपने विचार रखे।

भोजन अवकाश के पश्चात कार्यक्रम का द्वितीय सत्र 02:30 बजे शुरु हुआ जिसमें चर्चा का विषय था ग्राम संसद उक्त विषय का प्रतिपादन करते हुए श्री बजरंग मुनि जी ने कहा कि वर्तमान समय में सरकारे व्यक्ति,परिवार,समाज के अधिकारों को धीरे धीरे केन्द्रीयकृत करती जा रही है। जिससे परिवार,गांव, समाज कमजोर होते जा रहे है ग्राम संसद का अर्थ है। '' प्रत्येक गांव एवं वार्ड सभा को राष्ट्रीय संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका तथा आंतरिक कानून बनाने एवं कियान्वित करने की स्वतंत्रता।

कार्यक्रम का चतुर्थ सत्र में चर्चा का विषय था वर्ग संघर्ष सुनियोजित षडयंत्र। इस विषय का प्रतिपादन करते हुए श्री बजरंग मुनि जी ने कहा कि वर्तमान समय में समाज में वर्ग संघर्ष भी लगातार बढ रहा है इस विषय पर मेरे द्वारा मंथन कमांक 36 में विस्तार से प्रकाश डाला गया है कार्यक्रम का अंतिम सत्र प्रश्नोत्तर काल का था जिसमें उपस्थित लोगों ने उपरोक्त चार विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जिसका समाधान श्री बजरंग मुनि जी एवं आचार्य पंकज जी के द्वारा दिया गया। पूरे कार्यक्रम का संचालन श्री रामवीर श्रेष्ठ जी के द्वारा किया गया।

चीन और भारत के बीच सीमा विवाद

पिछले तीन चार दिनो से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बढने की खबरे आ रही हैं। भारतीय मीडिया इन खबरो को राष्ट्र प्रेम की चासनी मे लपेट कर समाज के सामने प्रस्तुत कर रहा है जो उचित नहीं। दो राष्ट्रो के बीच सीमा विवादो के मामले मे विश्वसनीय तरीके से यह नहीं कहा जा सकता कि कौन सी सरकार झूठ बोल रही है या अपना दावा बढा चढा कर नही प्रस्तुत कर रही है। ऐसी परिस्थिति मे हम लोगो को अपनी प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिये । हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश के साथ हमें होना चाहिये। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम उस देश की सरकार पर अपना दबाव डालने की भी पहल करें। मेरा यह मत है कि भारत मे जो लोग चीन के विरूद्ध बिना सोचे समझे वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे है उनका मार्ग गलत है। उचित समय पर हमारी सरकार उचित निर्णय लेगी ओर हमे सरकार पर तब तक भरोसा रखना चाहिये जब तक हमे कोई प्रत्यक्ष यथार्थ की जानकारी न हो जाये । नरेन्द्र मोदी के आने के बाद तो यह और भी ज्यादा आवश्यक हो जाता है। हमे सरकार पर पूरा भरोसा रखना चाहिये और युद्ध उन्माद की दिशा मे सरकार को ढकेलने का प्रयास नही करना चाहिये। युद्ध समस्या के समाधान का अंतिम विकल्प होता है पहला नहीं। ऐसे संवेदनशील विषयों पर प्रतिकिया देने से बचना उचित होता है।

जी एस टी कर प्रणाली की शुरुवात

आज रात बारह बजे से जी एस टी शुरु हो गई है। बडी संख्या में व्यापारी लम्बे समय से जी एस टी की प्रतीक्षा कर रहे थे क्योंकि उन्होने इस कर प्रणाली को पिछली कर प्रणाली की तुलना में अधिक सुविधाजनक माना। स्पष्ट है कि इस प्रणाली से कर प्रणाली की जटिलता भी कम होगी तथा इन्सपेक्टर राज भी घटेगा। व्यापारियों द्वारा निरंतर प्रतीक्षा के बाद अंतिम समय में विरोध के स्वर सुनाई दिये। मेरे विचार में न ही व्यापारी कभी जी एस टी का विरोध कर रहे थे न ही उनकी इच्छा थी। सारी तैयारी होने के बाद जब व्यापारी आश्वस्त हो गये कि जी एस टी अब निश्चित है किन्तु जी एस टी की दरें अभी अंतिम नहीं है तथा कानूनों को लचीला बनाया जा सकता है तब व्यापारियों ने नकली दबाव बनाना शुरु किया। सत्तारुढ दल भी जी एस टी को अपनी उपलब्धि बताने लगा तब विपक्ष चिन्तित हुआ। दस दिन पूर्व मेरे एक अच्छे मित्र ने भी गुजरात से फोन करके जी एस टी के विरुद्ध वातावरण बनाने का भरपूर दबाव डाला जबकि मैं कई वर्ष पूर्व से ही एकीकृत कर प्रणाली का पक्षधर रहा और आज भी हूँ । मेरे कुछ अन्य मित्र जो हमेशा एकीकृत कर प्रणाली के पक्षधर रहे वे भी आज विभिन्न बहाने बनाकर जी एस टी के विरुद्ध लिखने लगे। इस तरह विपक्ष तथा कुछ व्यापारियों ने मिलकर यह नकली विरोध का नाटक रचा।

जी एस टी बडे व्यापारियों तथा छोटे व्यापारियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढावा देगा जिससे बडे व्यापारी लाभ में रहेंगे। कर चोरी के माध्यम से भी छोटे व्यापारी प्रतिस्पर्धा में टिके रहते थे। अब वह कठिन हो जायेगा। स्पष्ट है कि सरकार का टैक्स बढेगा तथा व्यापारियों के व्यापार में सुविधा होगी किन्तु लाभ घटेगा। कुल मिलाकर मैं जी एस टी के पक्ष में हूँ। यह वर्तमान कर व्यवस्था की तुलना में अच्छी है।

प्रश्नोत्तर

(1) मो0 शफी आजाद, मानव सेवा संस्थान, बाराबंकी उत्तर प्रदेश

प्रश्न–दैनिक जागरण 18 अप्रेल 2017 के प्रकाशित लेख ''गुलाम मानसिकता के निशान '' मे श्री बलबीर पुंज ने रामजन्म भूमि मंदिर का पुनर्निमाण गो वध पर पूर्ण प्रतिबंध का विरोध करने वालो को दो वर्गो मे विभाजित दर्शाया है। एक वह मुस्लिम वर्ग जिसे मो0 विन कासिम महमूद गजनवी बावर औरंगजेब की सोच का पैरोकार बताया तथा दूसरे वह हिन्दू वर्ग जो मुस्लिम और अंग्रेजी शासन की दासता से ग्रसित होकर राष्ट्रीय समस्या पर स्वाभिमानी नजरिया रखने मे सक्षम नही है। बलबीर पुंज का यह बयान पक्षपात पूर्ण है, भारत के पंथ निरपेक्ष हिन्दू मुस्लिम के लिये भददी गाली है एक वर्ग विशेष के बचाव का अनुचित प्रयास है। विचारणीय है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण राजशाही के दौर मे एक मुगल सेनापति मीर बाकी द्वारा बाबर के शासन काल मे करवाया गया। ऐसे शासन काल मे जब सत्ता एक व्यक्ति के हाथो रही तब शासक हिन्दू हो या मुस्लिम मनमानी की गई गलती हुई वैसी मनमानी लोकतांत्रिक व्यवस्था शासित देश मे अनुचित है। आज वह कौन लोग हैं, किस मानसिकता के पोषक जो आजाद भारत मे जहां राजशाही नही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संविधान का शासन है ऐसे मुल्क मे लोकतंत्र के मूल्यो को ठेगा दिखान का दुस्साहस करते हैं। दिनांक 22/23 दिसम्बर 1950 की मध्य रात्रि मे बाबरी मस्जिद के अंदर जिनके भी द्वारा चोरी से रामलला की मूर्तिया रखी गई वह किस मानसिकता के पोषक थे। 6 दिसम्बर 1992 को जब रामजन्म भूमि एंव बाबरी मस्जिद का प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन था। प्रदेश मे भाजपा की सरकार थी मुख्यमंत्री द्वारा न्यायालय मे विवादित इमारत को सुरक्षा करने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी इमारत धराशायी कर लोकतंत्र की मर्यादा और मुल्क के कानून की धज्जिया उडाई गई जिसके लिय न्यायालय द्वारा मुख्य मंत्री को एक दिन की सजा सुनाई गई जिसके लिये किसी शायर ने कहा था ।

'' डूब मरता शर्म से होती हया कुछ भी जरूर
बे हया को एक दिन की यह सजा काफी नही।

इस घटना के लिये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सी बी आई की विशेष अदालत द्वारा विवादित इमारत को गिराने की साजिश रचने धार्मिक भावनाए भडकाने एंव राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुचाने जैसे गंभीर आरोप तय कर भाजपा और उसके सीनियर लीडरान की संकीर्ण कट्टरपंथी मानसिकता उजागर हो गई है। फिर भी ये कल्पना राम राज्य की करते है। बी जे पी के सीनियर लीडर /प्रवक्ता सुब्रहमणयम स्वामी द्वारा सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मंदिर निर्माण के विरूद्ध आने पर नियम/कानून बना कर राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण की एलानिया घोषणा किस मानसिकता की परिचायक है। सुब्रहमणयम स्वामी और केन्द्र सरकार को यह भी स्पष्ट करना चाहिये कि राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण के बाद ओर कितने मंदिरो के पुनः निर्माण को अपनी आस्था से जुडा होना बताकर धार्मिक भावनाओ को उत्तेजित कर सत्ता मे पहुचने का मार्ग खोजते रहेंगे। मेरी व्यक्तिगत राय है कि अयोध्या मे एक मंदिर का निर्माण यथाशीघ्र होना चाहिये । साथ ही यह भी ध्यान रहे कि लोकतंत्र की मर्यादाओ का उलंधन न हो संवैधानिक नियमो के अनुरूप हो भारत की मूल भावना (गंगा जमुनि तहजीब) को बरकरार रखने की पूरी कोशिश हो। मुस्लिम शासको द्वारा भारत के हजारो मंदिरो को तोडकर उन्हे मस्जिद और दरगाहो मे तब्दील करने वाली बांत भ्रामक है। वर्ग भेद पैदा करने की कोशिश है। किसी अन्य धर्म के पूजा स्थल मस्जिद का निर्माण कर नमाज अदा करना इस्लाम मे मना है। कोई घटना अपवाद स्वरूप हो तो अलग बात और दरगाह का निर्माण तो सरासर गलत है हो ही नही सकता। गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध के संबंध मे मेरी जानकारी के अनुसार मुस्लिम वर्ग को बिल्कुल एतराज नही विरोध है तो सरकार की दोहरी नीतियो पर जो कुछ प्रदेशो मे आज गोकशी प्रतिबंधित करना चाहती है तथा कुछ प्रदेशो मे गोकशी चालू रखने के मूड मे है। यह अनुचित है। पूरे देश मे गोकशी लागू हो यह साहस सरकार कर नही सकती है। चूकि अधिकांश सलाटर हाउस भाजपा /सरकार के चहेतो के नाम पर लाइसेंस जारी है।

सरकार वीफ खाने पर पाबंदी लगाना चाहती है। और वीफ निर्यात से होने वाले लाभ को भी छोडना नही चाहती। यह दोनो बाते एक साथ अनुचित है । इस पर पंथ निर्पेक्ष हिन्दू /मुस्लिम सभी को एतराज है। केन्द्र की भाजपा सरकार को चाहिये कि गो कशी को पूरे भारत मे पूर्ण प्रतिबंधित कर गोवश के नर जानवरो के संरक्षण की समुचित व्यवस्था करे क्योकि गो वंश के नर जानवर जो अभी दो दशक पूर्व तक पशु पालक और किसानो के बरदान थे आज पूरी तरह अनुपयोगी हो कर अभिशाप सिद्ध हो रहे है। देश मे सम्प्रदायिक तनाव पूर्ण माहौल के लिये जिम्मेदार भारत का न हिन्दू है न मुसलमान बल्कि सुब्रहमणयम स्वामी जैसी राजनीतिज्ञ व बलबीर पुंज जैसे लेखक एंव कुछ संकीर्ण कटटरपंथी सोच के हिन्दू /मुस्लिम धर्म को कलंकित करने वाले कुछ अराजक तत्व है जो मुल्क की संस्कृति गंगा जमुनि तहजीव व मानवता के दुश्मन है।

उत्तर– मो0 शफी भाई बलबीर कुंज ने एक वर्ग का पक्ष लिया है तो आपने दूसरे वर्ग का। भारत का जो मुसलमान समाज राष्ट्र और लोकतंत्र से उपर अपने धर्म और संगठन को मानता है उसे लोकतंत्र की दुहाई क्यो देनी चाहिये। क्या भारत के मुस्लिम बहुमत ने कभी कानून का सम्मान करने की पहल की है। मीर बाकी द्वारा बाबर के शासन काल मे गलती की गई और वैसी ही गलती चोरी से रामलला की मूर्ति रखकर की गई । मेरा लोटा आप बल पूर्वक छींनकर ले जाएं और मैं अपना लोटा चुराकर ले आउं तो क्या सही और क्या गलत । इस विवेचना मे बलबीर पुंज को यदि पडने देते तो मै ऐसे साम्प्रदायिक व्यक्ति की चर्चा नही करता। किन्तु मोहम्मद सफी एक ओर अपने को धर्म निरपेक्ष माने और दूसरी ओर साम्प्रदायिक इस्लाम का पक्ष ले यह ठीक नही। क्या आपने उस समय चिंता की जब लोकतांत्रिक भारत मे मुसलमानो को चार शादी तक की छूट देकर हिन्दूओ पर एक से अधिक विवाह का प्रतिबंध लगाया गया था। क्या आपने कभी भी आजतक ऐसा लेख लिखा कि कश्मीर के मुसलमान गलत कर रहे है और भारत के मुसलमानो को इसका विरोध करना चाहिये। जिस समय भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय संसाधनों पर मुसलमानो का पहला अधिकार घोषित किया था तब आपने कोई लेख नही लिखा । अंधेर नगरी चौपट राजा की तरह सत्तर वर्षो तक भारतीय मुसलमानो ने राजसत्ता से एक पक्षीय सुविधाए प्राप्त की और हिन्दूओ को दूसरे दर्जे का नागरिक बनने दिया तो भाई अंधेर नगरी चौपट राजा मे अब फांसी चढने की बारी है तो इसका दोषी कौन? आज तक एक भी ऐसा उदाहरण बताइये जब भारतके मुसलमानो ने किसी अत्याचार के विरूद्ध कानून का सहारा लेने की पहल की हो। जब भारत का मुसलमान प्रत्यक्ष टकराना चाहता है और दूसरा पक्ष मजबूत होने लगता है तब उसे लोकतंत्र और संविधान याद आता है। ऐसी परिस्थिति मे बताइये कि हम क्या करें। आज तक आपने कभी यह पहल नही की कि भारत का मुसलमान लोकतांत्रिक भारत मे समान अधिकार चाहता है विशेष अधिकार नही। सत्तर वर्षो तक भारत का हिन्दू समान अधिकार चाहता था तो भारत का मुसलमान विशेष अधिकार । अब यदि भारत का हिन्दू विशेष अधिकार मांगने लगा है तो हम आपको दो साम्प्रदायिक समूहो मे से किसी एक का पक्ष क्यो लेना चाहिये।

आपको सुब्रहमंण्यम स्वामी की घोषणा तो बहुत याद आती है। किन्तु आजम खान की टिप्पणियों का आपने कही उल्लेख नही किया। नरेन्द्र मोदी के पूर्व भारत के मुसलमानो ने कभी गंगा जमुनी तहजीब को महत्व नही दिया जो अब याद आ रही है । दुनियां के जिन देशो मे इस्लामिक शासन है उसमे से अनेक शरीयत के नाम पर इश निंदा कानून बनाते है और आपने आज तक कभी उसकी प्रत्यक्ष निंदा नही की। अब यदि भारत के साम्प्रदायिक हिन्दू इशनिंदा कानून बनावे तो मुझे उस कानून का विरोध करने का अधिकार है किन्तु आपको नहीं । आपने गो हत्या कानून की चर्चा की । यदि गो हत्या पर प्रतिबंध नही है तो क्या भारतीय मुसलमानो का यह कर्तब्य नही बनता कि वे गो हत्या पर स्वैच्छिक प्रतिबंध लगा दें। यदि भारत का हिन्दू एक पक्षिय तरीके से धर्म परिवर्तन कराने को गलत मानता है तो क्या भारत के मुसलमानो का कर्तब्य नही कि वह भी हिन्दूओ की इस पहल का अनुकरण करे । मै छूआछूत मानता हूँ। आप मेरे घर मे मेरे बर्तन छू दे। मै आपको बर्तन दे दू और आप उठाकर ले जाये । मेरी कोई आगे वाली पीढी आपसे भी ज्यादा दबंग निकले और अपने सारे बर्तन आपसे छिनकर ले आवे तो आप उसे गंगा जमुनि तहजीब भारतीय संस्कृति भारतीय संविधान की याद दिलावे। यह ठीक नही। क्योकि उसके बर्तन छू छूकर अपने घर मे लाते समय आपने कभी नही सोचा था कि इसका भविष्य मे क्या परिणाम होगा।

मै समझता हूँ कि नरेन्द्र मोदी के आने के बाद साम्प्रदायिक सौहार्द्र बिगड रहा है। जो वातावरण बन रहा हे वह हिन्दूत्व के लिये बहुत बडा कलंक है। किन्तु इसका बडा कारण साम्प्रदायिक हिन्दूओ से भी अधिक साम्प्रदायिक मुसलमान हैं। हम धर्म निरपेक्ष लोग साम्प्रदायिक हिन्दूओ को समझाने का प्रयास कर रहे है। हम बलबीर पुंज का समर्थन नही कर रहे किन्तु हम यह भी नही देख सकते कि साम्प्रदायिक मुसलमान साम्प्रदायिक हिन्दूओ का विरोध करके लोकतंत्र हिन्दूत्व और मानवता के नाम पर हमारी सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयास करें। आपने यह पत्र बलबीर पुंज जी को लिखा होता तो इसमे मुझे कुछ नही कहना था । दो साम्प्रदायिक समूह आपस मे टकराते है तो मुझे कोई आपत्ति नही । आशा है कि इस संबंध मे आपका हमे निरपेक्ष उत्तर प्राप्त होगा।

उत्तरार्ध

ग्राम संसद अभियान का घोषणा पत्र

वर्तमान समय मे सम्पूर्ण विश्व मे राजनैतिक व्यवस्था को मजबूत करने की होड मची हुई है। राज्य स्वयं को समाज का प्रबंधक न मानकर संरक्षक मानता है। अनेक देशो मे तो वह स्वयं को मालिक तक मान लेता है। राज्य स्वयं को सरकार अर्थात शासक मानता भी है और कहता भी है। यह स्थिति लगभग पूरे विश्व की होते हुए भी भारत मे कुछ अधिक ही है। भारत में तो स्वतंत्रता के तत्काल बाद ही हमारे नेताओ ने लोकतंत्र की आदर्श परिभाषा लोक नियंत्रित तंत्र को बदलकर लोक नियुक्त तंत्र कर दिया।

परिणाम हमारे समक्ष स्पष्ट है। अव्यवस्था फैली हुई है। वोट देने का अधिकार छोडकर कोई भी ऐसा अधिकार नहीं जिसमें तंत्र हस्तक्षेप न कर सके। परिवार, गांव, जिले तक की स्वतंत्रता तंत्र की दया पर निर्भर हो गई है। तंत्र के ही दो घटक विधायिका और न्यायपालिका अपने को सर्वोच्च घोषित करती रहती है। सेना, पुलिस, न्याय तो तंत्र के पास स्वाभाविक रूप से है ही, किन्तु धीरे–धीरे अर्थ व्यवस्था भी राज्याश्रित होती जा रही है। हम वोट द्वारा अपने प्रतिनिधि नियुक्त तो कर सकते है किन्तु उन्हे बीच मे वापस नही बुला सकते। वे अपने अधिकार तो तय करते ही है किन्तु हमारे भी अधिकार वे ही तय कर सकते है। वे हमारा भी वेतन तय कर सकते है और अपना भी। वे चाहे जितना अपना वेतन बढा ले किन्तु हम उन्हें देने के लिये बाध्य हैं। नये–नये वर्ग बना बना कर वर्ग संघर्ष को बढाया जा रहा है। परिवार व्यवस्था समाज व्यवस्था को तोडा जा रहा है।

भारत में संविधान का शासन है। संविधान के प्रति हम सबकी गहरी आस्था हौ। हमारे तंत्र ने संविधान संशोधन का अधिकार भी अपने पास रख लिया है। संविधान संशोधन में लोक की भूमिका होनी चाहिये किन्तु तंत्र ने लोक को उस भूमिका से बाहर कर दिया है। वे जब चाहे संविधान में संशोधन कर लेते है किन्तु हम अर्थात लोक चाहकर भी बिना उनके माध्यम से संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकते।

परिस्थितियां विकट हैं। ग्राम संसद अभियान की शक्ति और संसाधन सीमित हैं। अभियान ने विश्व की जगह भारत तक अपनी सक्रियता सीमित की है। भारत में भी हम ग्राम संसद तक ही स्वयं को सीमित कर रहे है। ग्राम संसद का अर्थ स्वीकार किया गया है कि प्रत्येक ग्राम या वार्ड सभा को राष्ट्रीय संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका तथा अपना आंतरिक कानून बनाने एंव क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता । हम इस छोटे से उददेश्य को लेकर जन जागरण कर रहे है।

आदर्श स्थिति तो वह होती कि प्रत्येक परिवार को ऐसी स्वतंत्रता होती कि व्यक्ति या परिवार मिलकर राष्ट्रीय संविधान बनाते। ग्राम सभा परिवारों का संघ होती। साथ ही ग्राम सभा अपने अधिकार स्वयं तय कर सकती। किन्तु हम इस अभियान को अधिक सहज सरल बनाने के उद्देश्य से वर्तमान संविधान द्वारा ग्राम सभा की घोषित परिभाषा तथा उन्तीस अधिकारों तक ही सीमित कर रहे है। इनमे भी यदि राज्य चाहे तो कुछ कम ज्यादा कर सकता है।

अभियान सिर्फ जन जागरण तक सीमित होगा। हम सरकार से इस संबंध में अनुरोध करने तक सीमित रहेंगे। किसी भी परिस्थिति में कोई कानून नहीं तोडा जायगा। किसी प्रकार के बल प्रयोग का तो कोई प्रश्न ही नहीं है।

हमारे इस प्रयत्न से भारत में लोकतंत्र अधिक मजबूत हेागा। हम दुनियां को कह सकते है कि भारत लोक नियंत्रित तंत्र की दिशा में कदम बढा चुका है। इस संशोधन से राजनेताओ की शक्ति घटेगी और राज्य की शक्ति बढेगी। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों में समन्वय और संतुलन होगा। वर्तमान में राज्य ओवर लोडेड है। उसके कार्यो का नब्बे प्रतिशत बोझ परिवार, गांव जिले उठा सकेंगे जिससे राज्य अधिक विश्वसनीय तथा न्याय संगत तरीके से सुरक्षा और न्याय देने में सफल हो सकेगा।

अभियान ने समय सीमा और सफलता का आकलन करने के बाद ही इस अभियान की रूप रेखा बनाई है। हमारे अनुमान के अनुसार हम दो हजार चौबीस के पूर्व तक इस अनुरोध को स्वीकार कराने में सफल होंगे। यदि कोई विशेष स्थिति हुई तो उसके बाद बैठकर विचार करेंगे।

हमारा नारा–

(1) समस्याओ के प्रणेता कर कानून नेता,

समस्याओं का समाधान,ग्राम संसद अभियान।

(2) हमारा मंत्र–लोक नियंत्रित तंत्र।

(3) ग्राम संसद अभियान–प्रत्येक ग्राम या वार्ड सभा को राष्ट्रीय संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका तथा अपने आंतरिक कानून बनाने और कियान्वित करने की स्वतंत्रता।